न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4019–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–12–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग राऊ इंदौर प्रकरण कमांक 20/अपील/2014–15

.....

गौरव पिता स्वर्गीय श्री जगदीश मदान
निवासी 123–124, बैकुण्ठधाम कालोनी,
साकेत नगर के पास इंदौर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–राजकुमार पिता स्वर्गीय श्री जगदीश मदान
2–श्रीमती नीलम पति स्वर्गीय श्री जगदीश मदान
निवासी 123–124, बैकुण्ठधाम कालोनी,
साकेत नगर के पास इंदौर म0प्र0

..... अनावेदकगण

– – –

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदकगण

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/2/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग राऊ इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा अपर तहसीलदार इंदौर के आदेश दिनांक 24–08–2009 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 1–4–2015 को 6 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्र. क्र. 20/अपील/2014–15/अ–6 दर्ज कर दिनांक 8–12–2015 को अंतरिम आदेश पारित किया जाकर विलम्ब क्षमा करते हुये प्रकरण गुणदोष पर तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी दिनांक 23–3–2015 को होना बतलाया जा रहा है, जबकि इसके पूर्व दिनांक 05–11–2014 को अनावेदकगण द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदक को सूचना पत्र भिजवाया गया है जिसका उत्तर भी उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी 5–11–2014 को ही हो गई थी और उनके द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में उक्त तथ्य को छिपाया गया है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा षष्टम अपर जिला न्यायाधीश इंदौर के समक्ष दिनांक 3–2–15 को आवेदक के विरूद्ध व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है, इस कारण भी अनावेदकगण को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी पूर्व से थी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील अत्यधिक विलम्ब से 7 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई थी, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया गया है, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा मृतक भूमिस्वामी के एक ही पुत्र के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, जबकि मृतक भूमिस्वामी के अन्य पुत्र व पुत्रियॉ भी हैं । तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करने में उन्हें सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मृतक भूमिस्वामी के सभी वारिसों को विधिवत् व्यक्तिशः सूचना दी जाकर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये नामान्तरण कार्यवाही की जाना चाहिये और जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही में मृतक भूमिस्वामी के अन्य वारिसानों को न तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने में पूर्णत वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । आवेदक जिस बटवारानामे का लाभ लेना चाहता है वह भी मृतक भूमिस्वामी एवं उसके पुत्र आवेदक के मध्य होना परिलक्षित होता है, जबकि पिता के हिस्से में आई भूमि पर उसके सभी पुत्र एवं पुत्रियों का हक होता है और उक्त भूमि पर भी नामान्तरण की कार्यवाही में सभी वारिसानों को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अनुभाग राऊ जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–12–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 4020–पीबीआर/2015, निगरानी प्रकरण कमांक 4021–पीबीआर/2015 एवं निगरानी प्रकरण कमांक 4022–पीबीआर/2015 पर भी लागू होगा, अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर